

राजस्थान सरकार  
सामान्य प्रशासन (ग्रुप-2) विभाग

क्रमांक :- प. 20(1)साप्र/2/11

जयपुर, दिनांक : 02.6.2011

-: आदेश :-

निम्नांकित कर्मचारियों को उनकी चतुर्थ श्रेणी की पात्रतानुसार आवंटित चतुर्थ श्रेणी राजकीय आवास के स्थान पर उनकी एफ स्वतंत्र की वरियता के आधार पर उनके नाम के सम्मुख अंकित एफ स्वतंत्र श्रेणी आवास नियमानुसार किराये पर पूर्व शर्तों के आधार पर एतद्वारा आवंटित किया जाता है :-


क्र.सं.	नाम व पद	आवास संख्या	सेवानिवृत्ति तिथि	वरियता संख्या
1	श्रीमती अनिता पाल नर्स ग्रेड-II जे के लोन अस्पताल, जयपुर	एफ- 417 गॉधीनगर (4/117 गॉधीनगर के स्थान पर )	30.6.2034	197
2	श्री लल्लू राम मीणा प्रयोगशाला सहायक पशु पोषाहार प्रयोगशाला आगरा रोड, जयपुर	एफ-46 गॉधीनगर (4/83 गॉधीनगर के स्थान पर )	30.6.2028	198
3	श्री कैलाश चंद शर्मा नर्स ग्रेड-II सवाई मान सिंह चिकित्सालय, जयपुर	एफ-200 गॉधीनगर (4/50 गॉधीनगर के स्थान पर )	31.7.2023	199
4	श्री विमल कुमार शर्मा कनिष्ठ लेखाकार पर्यावरण विभाग शासन सचिवालय, जयपुर	एफ-141 गॉधीनगर (4/56 गॉधीनगर के स्थान पर )	31.5.2027	200
5	श्री हरिनारायण मीणा सहायक अनुभागाधिकारी गृह (ग्रुप-1) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर	एफ-126 गॉधीनगर (4/138 गॉधीनगर के स्थान पर )	31.7.2033	201
6	श्री लक्ष्मण सिंह वरिष्ठ लिपिक जल संसाधन विभाग, जयपुर	एफ-42 गॉधीनगर (4/59 गॉधीनगर के स्थान पर )	31.10.2014	202

Director (Tech.)

13-6-2011

OIC (Web.)

14-6-2011



आज्ञा से,

To

(मनफूल बैरवा)

शासन सहायक सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. जिला कलक्टर, जयपुर।
2. निदेशक, सम्पदा विभाग, जयपुर।
3. अधीक्षक, सवाई मान सिंह चिकित्सालय/जे के लोन अस्पताल, जयपुर।
4. शासन उप सचिव, कार्मिक(ख-1) विभाग।
5. मुख्य अभियन्ता, जल संसाधन विभाग, जयपुर।
6. प्रभारी अधिकारी, पशु पोषाहार प्रयोगशाला, आगरा रोड, जयपुर।
7. मुख्य लेखाधिकारी/कोषाधिकारी, शासन सचिवालय, जयपुर।
8. कोषाधिकारी, जयपुर शहर जयपुर।
9. प्रबन्ध निदेशक, राजकॉम, प्रथम तल, योजना भवन, जयपुर- कृपया उक्त आदेश को सामान्य प्रशासन विभाग की वेब साईट पर अपडेट करने का श्रम करावें।
10. अधिशाषी आीयन्ता, सा0 नि0 विभाग/जन स्वा0 अभि0 विभाग/जयपुर विद्युत वितरण निगम लि0 गॉधीनगर,, जयपुर।
11. सहायक अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग चौकी गॉधीनगर, जयपुर।
12. सम्बन्धित कर्मचारीगणों को भेजकर लेख है कि पूर्व में आवंटित आवास 15 दिवस में रिक्त करने का श्रम करें अन्यथा प्रथम माह दुगुना तदुपरान्त तीन गुणा किराया वसूलनीय होगा।
13. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव सापति।